

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

रु.
10000



Rs.
10000

TEN THOUSAND RUPEES

रा. स्थान RAJASTHAN

630737



विक्रय-पत्र मालियत रुपये 13,00,000 /--

मुद्रांक रुपये 60,000 /--

बकागजात 6, दिनोंक 15/03/2011

मै भगवती देवी आयु 50 वर्ष पत्नि श्री घीसालाल बुनकर, जाति-
बलाई, निवासी-नवलपुरा, तहसील-शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.) की
हैं।



Hemmal

लगातार 2

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

रु.
10000



Rs.
10000

TEN THOUSAND RUPEES

रा. स्थान RAJASTHAN

10 MAR 2011

(2)

630738

जो कि ग्राम-मनोहरपुर, पटवार हल्का-मनोहरपुर, तहसील-शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.) में स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 7941/1 रकबा 0.2500 है। किता-1, कुल रकबा 0.2500 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि मेरे स्वयं के अधिकार व खातेदारी तथा कब्जे काशत में है। उक्त सम्पूर्ण भूमि को विहित प्राधिकारी उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) के संपरिवर्तन आदेश क्रमांक रुपा./2011/220-224, दिनांक 08/03/2011 के अनुसार कृषि से अकृषि कार्य (डेयरी प्लान्ट) औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करा लिया है। उक्त भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित का रुपान्तरण नामा. संख्या 2251 दिनांक 10/03/2011 को दर्ज हो चुका है। किसी अन्य का इसमे किसी प्रकार का कोई हक व सम्बन्ध नहीं है। उक्त भूमि आज तक समस्त प्रकार के झगड़ें टण्टों से तथा सरकारी गैर सरकारी बैंक एवं जनसाधारण के ऋण एवं कर भार से

लगातार 3

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

रु.
10000

भारत



Rs.
10000

TEN THOUSAND RUPEES

630739

रा. स्थान RAJASTHAN

(3)

सर्वथा मुक्त है। मैंने उक्त आराजी को आज से पूर्व किसी के हित में रहन विक्रय, बख्शियत, जमानत, कुर्की, डिग्री वसीयत आदि से बन्धित अथवा हस्तान्तरित नहीं कर रखी है। अर्थात् उक्त आराजी हर प्रकार से पाक साफ है। मुझको उक्त आराजी को हर तरह से हस्तान्तरित व बेचान करने के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

यह है कि मुझे अपने व्यवसाय एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रुपयों की आवश्यकता है इसलिए मैंने उक्त उल्लिखित ग्राम—मनोहरपुर, में स्थित औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि आराजी खसरा नम्बर 7941/1 रकबा 0.2500 है। किता-1, कुल रकबा 0.2500 हैक्टेयर सम्पूर्ण अर्थात् 2500 वर्गमीटर औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि को मय हक—हकूक सहित मुबलिग रुपये 13,00,000/- अकेंही तेरह लाख रुपये मात्र के बदले में श्रीकृष्ण विद्या मन्दिर शिक्षा समिति, जुगल जी का मौहल्ला, मनोहरपुर जरिये सचिव श्री रामचन्द्र यादव पुत्र श्री सेडूराम यादव, जाति—अहीर, निवासी—नवलपुरा, तहसील—शाहपुरा,

लगातार 4



(4)

630740

जिला-जयपुर (राज.) के हित में कतई विक्रय कर दिया है तथा रकम बिचौती की सम्पूर्ण राशि मैंने उक्त क्रेता से नकद प्राप्त कर ली है। अब इसके पैसे कोई राशि लेना शेष नहीं है। उक्त विक्रित भूमि को संलग्न नक्शेनुसार पीले रंग से दर्शाया गया है। उक्त विक्रित भूमि का कब्जा मोके पर जाकर क्रेता को सम्भला दिया है तथा उक्त क्रेता को विक्रित भूमि का मेरे समान स्वामी तथा काबिजदार बना दिया है।

यह कि यदि मेरा कोई उत्तराधिकारी, स्थानापन्न अथवा प्रतिनिधि इस विक्रय के खिलाफ किसी प्रकार की कोई आपत्ति उठाये या आज से पहले का कोई बकाया किसी भी किस्म का उक्त विक्रित भूमि के जिम्मे होगा, तो उन सब का निपटारा व चुकारा मैं स्वयं अपने खर्चे से करूंगी। इस विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

यह कि अब क्रेता उक्त विक्रित भूमि के समस्त सरकारी रिकार्ड में मेरी बजाय अपना नाम दर्ज करवा सकेगा। यदि इस सम्बन्ध में मेरे बयानात व शहादत की लिखित व मौखिक आवश्यकता पड़ेगी तो मैं पूर्ण

लगातार 5



Homach

उप पंजीयक
रा. स्थान

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

₹.
10000



Rs.
10000

TEN THOUSAND RUPEES

रा. स्थान RAJASTHAN

630741

(5)

सहयोग दूंगी। क्रेता उक्त विक्रित भूमि का हर प्रकार से उपयोग व उपभोग कर सकेगा। क्रेता इसको किसी को भी विक्रय, रहन, बख्शीश व हस्तांतरित कर सकेगा।

यह कि यदि मेरे स्वयं के स्वामित्व हकूक की त्रुटि की वजह से उक्त विक्रित भूमि का सम्पूर्ण अथवा कोई अंश उक्त क्रेता के अधिकार तथा कब्जे से निकल जायेगा तो उक्त क्रेता को अधिकार होगा कि वह उक्त विक्रित भूमि के ऐसे समय की बाजार कीमत की समस्त राशि को मुझसे तथा मेरी अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे एक मुश्त वसूल कर लें।

उक्त क्रेता को अधिकार होगा कि अपने खरीद शुदा भूमि को अपने उपयोग व उपभोग में लेवे। इसमें अन्य परिवर्तन करे। जिसमें मुझे व मेरे वारिसान आदि को कोई आपत्ति उठाने का अधिकार नहीं होगा। उक्त विक्रित भूमि मौके पर खाली है।

लगातार 6

उप पंजीयक
पं. मु. विभाग
शाहपुरा (जयपुर)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

रु.
10000

भारत



Rs.
10000

TEN THOUSAND RUPEES

रा. स्थान RAJASTHAN

630742

(6)

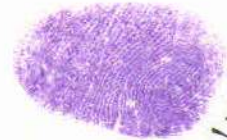
अतएव यह विक्रय पत्र मालियत रुपये 13,00,000 /—, मुद्रांक—रुपये 60,000 /— (10,000X6) किता—6, पर मैंने अपनी राजी खुशी, बिना किसी नशे पते, बदुरुस्ती होश—हवाश व बिना किसी नाजायज दाब दबाव के, सोच समझ कर लिपिबद्ध करवाकर दो साक्षियों के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं कि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

साक्षी

1.

रामकृष्ण यादव
निवासी - गवलाउला
राजस्थान

हस्ताक्षर विक्रेता



हस्ताक्षर

2.

सरफराज (कौटुम्बिक काली कोटामडालो)
निवासी - गवलाउला

हस्ताक्षर विक्रेता



हस्ताक्षर

सरफराज खो

श्री कृष्ण
सुभाष जी
मनोहर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

रु.
10000



Rs.
10000

TEN THOUSAND RUPEES

630743

राजस्थान RAJASTHAN

10 MAR 2011



विक्रय-पत्र मालियत रुपये 13,00,000/-

मुद्रांक रुपये 60,000/-

बकागजात 6, दिनांक 16/03/2011

मै भगवती देवी आयु 50 वर्ष पत्नि श्री घीसालाल बुनकर, जाति-
बलाई, निवासी-नवलपुरा, तहसील-शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.) की
हूँ।

 16-3-2011

लगातार 2

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

रु.
10000



Rs.
10000

TEN THOUSAND RUPEES

राजस्थान RAJASTHAN

10 MAR 2011

630744

(2)

जो कि ग्राम-मनोहरपुर, पटवार हल्का-मनोहरपुर, तहसील-शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.) में स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 7939/1 रकबा 0.1400 है, आराजी खसरा नम्बर 7938/8748 रकबा 0.1100 है, किता-2, कुल रकबा 0.2500 हैकटेयर सम्पूर्ण भूमि मेरे स्वयं के अधिकार व खातेदारी तथा कब्जे काशत में है। उक्त सम्पूर्ण भूमि को विहित प्राधिकारी उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) के संपरिवर्तन आदेश क्रमांक रुपा./2011/220-224, दिनांक 08/03/2011 के अनुसार कृषि से अकृषि कार्य (डेयरी प्लान्ट) औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करा लिया है। उक्त भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित का रुपान्तरण नामा. संख्या 2251 दिनांक 10/03/2011 को दर्ज हो चुका है। किसी अन्य का इसमें किसी प्रकार का कोई हक व सम्बन्ध नहीं है। उक्त भूमि आज तक समस्त प्रकार के झगड़ें टण्टों से तथा सरकारी गैर सरकारी बैंक एवं जनसाधारण के ऋण एवं कर भार से सर्वथा मुक्त है। मैंने उक्त आराजी को आज से पूर्व किसी के हित में रहन विक्रय,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

रु.
10000



Rs.
10000

TEN THOUSAND RUPEES

राजस्थान RAJASTHAN

10 MAR 2011

630745

(3)

बख्शियत, जमानत, कुर्की, डिग्री वसीयत आदि से बन्धित अथवा हस्तान्तरित नहीं कर रखी है। अर्थात् उक्त आराजी हर प्रकार से पाक साफ है। मुझे उक्त आराजी को हर तरह से हस्तान्तरित व बेचान करने के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

यह है कि मुझे अपने व्यवसाय एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रुपयों की आवश्यकता है इसलिए मैंने उक्त उल्लिखित ग्राम-मनोहरपुर, में स्थित औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि आराजी खसरा नम्बर 7939/1 रकबा 0.1400 है., आराजी खसरा नम्बर 7938/8748 रकबा 0.1100 है., किता-2, कुल रकबा 0.2500 हैक्टेयर सम्पूर्ण अर्थात् 2500 वर्गमीटर औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि को मय हक-हकूक सहित मुबलिग रुपये 13,00,000/- अकेंही तेरह लाख रुपये मात्र के बदले में श्रीकृष्ण विद्या मन्दिर शिक्षा समिति, जुगल जी का मौहल्ला, मनोहरपुर जरिये सचिव श्री रामचन्द्र यादव पुत्र श्री सेडूराम यादव, जाति-अहीर, निवासी-नवलपुरा, तहसील-शाहपुरा, जिला-जयपुर

लगातार 4



राजस्थान RAJASTHAN

630746

(4)

(राज.) के हित में कतई विक्रय कर दिया है तथा रकम बिचौती की सम्पूर्ण राशि मैंने उक्त क्रेता से नकद प्राप्त कर ली है। अब इसके पेटे कोई राशि लेना शेष नहीं है। उक्त विक्रित भूमि का कब्जा मोक़े पर जाकर क्रेता को सम्भला दिया है तथा उक्त क्रेता को विक्रित भूमि का मेरे समान स्वामी तथा काबिजदार बना दिया है।

यह कि यदि मेरा कोई उत्तराधिकारी, स्थानापन्न अथवा प्रतिनिधि इस विक्रय के खिलाफ किसी प्रकार की कोई आपत्ति उठाये या आज से पहले का कोई बकाया किसी भी किस्म का उक्त विक्रित भूमि के जिम्मे होगा, तो उन सब का निपटारा व चुकारा मैं स्वयं अपने खर्चे से करूंगी। इस विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

यह कि अब क्रेता उक्त विक्रित भूमि के समस्त सरकारी रिकार्ड में मेरी बजाय अपना नाम दर्ज करवा सकेगा। यदि इस सम्बन्ध में मेरे बयानात व शहादत की लिखित व मौखिक आवश्यकता पड़ेगी तो मैं पूर्ण

लगातार 5



18/03/2011

उप पंजीयक
प्र. सु. विभाग
(न्याय)



(5)

630747

सहयोग हूंगी। क्रेता उक्त विक्रित भूमि का हर प्रकार से उपयोग व उपभोग कर सकेगा। क्रेता इसको किसी को भी विक्रय, रहन, बख्शीश व हस्तांतरित कर सकेगा।

यह कि यदि मेरे स्वयं के स्वामित्व हकूक की त्रुटि की वजह से उक्त विक्रित भूमि का सम्पूर्ण अथवा कोई अंश उक्त क्रेता के अधिकार तथा कब्जे से निकल जायेगा तो उक्त क्रेता को अधिकार होगा कि वह उक्त विक्रित भूमि के ऐसे समय की बाजार कीमत की समस्त राशि को मुझसे तथा मेरी अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे एक मुश्त वसूल कर लें।

उक्त क्रेता को अधिकार होगा कि अपने खरीद शुदा भूमि को अपने उपयोग व उपभोग में लेवे। इसमें अन्य परिवर्तन करे। जिसमें मुझे व मेरे वारिसान आदि को कोई आपत्ति उठाने का अधिकार नहीं होगा। उक्त विक्रित भूमि मौके पर खाली है।



12/03/2011

लगातार 6

उप पंजीयक
पं. मु. विभाग
शाहपुरा (जयपुर)

630748

(6)

अतएव यह विक्रय पत्र मालियत रुपये 13,00,000 /—, मुद्रांक—रुपये 60,000 /— (10,000X6) किता—6, पर मैंने अपनी राजी खुशी, बिना किसी नशे पते,बदुरुस्ती होश—हवाश व बिना किसी नाजायज दाब दबाव के, सोच समझ कर लिपिबद्ध करवाकर दो साक्षियों के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं कि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

साक्षी

1.

आदि योकायमाव यो सायुताड मडव
विडिमी. मनोदपुर

हस्ताक्षर विक्रेता

2.

मदनलाल इंग्रज तुल्लारक भादव
निधनी. विशनगढ

हस्ताक्षर क्रेता